न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 58/2021 (RCMS No. :-2021/150)

उनवानी प्रकरण :–

वीरीसिंह पुत्र धूरेलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बसईनवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ----------अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार बसईनवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ---------- रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.01.2019 नायव तहसीलदार बसईनबाव प्र.सं. 232/2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम वीरीसिंह अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–.28.06.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार बसईनबाव के निर्णय दिनांक 23.01.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2588,2591,2600 व 2595 बॉके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुये खडी फसल को जब्त कर लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित कर बेदखल करने का आदेश दिनांक 23.01.2019 को पारित किया है जबकि आराजी खसरा नम्बरान 2558,2600,2591 बॉके ग्राम बसईनबाव–ए अपीलान्ट के पिता धूरेलाल के नाम दिनांक 10.02.1976 को सक्षम अधिकारी द्वारा

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

सर्वसम्मति से नियमन किया गया है। वक्त नियमन से अपीलान्ट के पिता घूरेलाल अपने जीवनपर्यन्त नियमन शुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उनके निधन के उपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर विरासतन काबिज होकर निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जबकि रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अवैध रूप से दिनांक 23.01.2019 को विवादित आराजीयात में खडी फसल को जब्त कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही विधिवत सम्मनों की तामील करवाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिल अपास्ती के है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 05.03.2019 को हल्का पटवारी के माध्यम से हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.01.2019 निरस्त किया जावे तथा नियमानुसार अपीलान्ट के पिता के हक में हुये विनियम आदेश की पालना सुनिश्चित करायी जाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा फोटोप्रति नकल आवंटन नियमन तारीखी 10.02.1976 पेश की है।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट की बैक पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से दिनांक 05.03.2019 को हुई । जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवित रूप से कराई गई है। अपीलान्ट नोटिस तामील के उपस्थित हुआ है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुये खडी फसल को जब्त कर लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के पिता धूरेलाल के नाम दिनांक 10.02.1976 को सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से नियमन किया गया है। वक्त नियमन से अपीलान्ट के पिता घूरेलाल अपने जीवनपर्यन्त नियमन शुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उनके निधन के उपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर विरासतन काबिज होकर निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जबकि रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अवैध रूप से दिनांक 23.01.2019 को विवादित आराजीयात में खडी फसल को जब्त कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई है, और ना ही साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.03.2019 को हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलान्ट् की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है। नोटिस की अपीलान्ट पर विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है परन्तु उनके द्वारा कोई जबाव व साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.01.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अपीलान्ट नियमन पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। अतः हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलेक्टर, धौलपुर

उपरोक्त विवेचन आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.01.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर